<u>1</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 752/2016</u>

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 752 / 2016 संस्थापित दिनांक 29 / 11 / 2016

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > बनाम

वीरेन्द्र उर्फ वीरू मिश्रा पुत्र कमलकिशोर मिश्रा उम्र 28 वर्ष निवासी गुढ़ागुढ़ी का नाका, सांई कॉलोनी कम्पू जिला ग्वालियर म0प्र0।

<u>.... अभियुक्त</u>

अभियोजन

(अपराध अंतर्गत धारा— 279, 337 भा.द.सं) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री आर०सी0यादव)

<u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 14.11.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 04.11.16 को 14:00 बजे थाने के सामने मौ रोड गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टवेरा कमांक एम.पी.—07—बी.ए.—2943 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी जफरूद्दीन में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहित कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.16 को फरियादी जफरूद्दीन ग्राम नोनेरा से धंधा करके अपनी मोटरसाइकिल कमांक एमपी 30 बीए 4517 से वापिस आ रहा था जैसे ही वह गोहद थाने के सामने आया था तो पीछे से टवेरा कमांक एम.पी.—07—बी.ए.—2943 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उसके शरीर एवं पैरों में चोटें आई थी। मौके पर हबीबउद्दीन एवं रहीसउद्दीन ने घटना देखी थी और उसे अस्पताल ले गए थे टवेरा मोके पर रूकी थी एवं ड्राइवर ने अपना नाम वीरेन्द्र बताया था। फरियादी जफरूद्दीन द्वारा घटना के संबंध में अस्पताल गोहद में अपराध कमांक 0/16 पर देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई थी तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में अप0 क0 326/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफतार किया

गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी जफरूद्दीन द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.11.16 को 14:00 बजे थाने के सामने मौ रोड गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.—07—बी.ए.—2943 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01, रहीसउद्दीन अ0सा02 एवं हबीबउद्दीन अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी वीरेन्द्र को नाम एवं शक्ल से नहीं जानता है उसने आरोपी को पहली बार देखा है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से महीने दो महीने पहले की दो ढाई बजे की है वह शेरपुर से अपने घर गोहद जा रहा था तो गोहद थाने के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया था वह गोहद थाने के सामने खड़ा हुआ था तो पीछे से हाजिर अदालत आरोपी ने अपनी बुलैरो गाडी से उसे टक्कर मार दी थी बुलैरो गाडी का नंबर उसने नहीं देखा था गाडी कैसे चल रही थी वह भी उसने नहीं देखा था। आरोपी बुलैरो गाडी को लेकर भाग गया था फिर पुलिस वाले आरोपी के पीछे गए थे और चितौरा के आस—पास आरोपी को पकड़ लिया था। उसने मौके पर रिपोर्ट लिखाई थी देहाती नालसी प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे जिस वाहन ने टक्कर मारी थी उसका नंबर एम.पी.—07—बी.ए.—2943 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गाडी का चालक गाडी को बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था एवं व्यक्त किया है कि गाडी ने पीछे से टक्कर मारी थी इसलिए वह गाडी को देख नहीं पाया था कि गाडी कैसी चल रही थी।

- 9. साक्षी रहीसउद्दीन अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी वीरेन्द्र को नाम से नहीं जानता है शक्ल से जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 7–8 महीने पहले की है वह अपने घर से पैदल-पैदल बाजार जा रहा था तभी थाने के सामने पता चला था कि उसके भाई जफरूद्दीन का एक्सीडेट हो गया है घटना स्थल पर मौजूद लोग बता रहे थे कि चार पिहए की गाडी वाला टक्कर मारकर भाग गया है पुलिस गाडी के पीछे गई थी और आरोपी को पकडकर लाई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जिस वाहन ने उसके भाई को टक्कर मारी थी उसका नंबर एमपी 07 बीए 2943 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गाडी का चालक गाडी को बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना के बाद उसके पिता हबीब ने गाडी के चालक से नाम पता पूछा था तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र पंडित बताया था।
- 10. साक्षी हबीबउद्दीन अ०सा०३ ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी वीरेन्द्र को नहीं जानता है उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन टवेरा क० एमपी 07 बीए 2943 के चालक ने गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर जफरूद्दीन की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने तथा रहीस ने ड्राइवर से उसका नाम पूछा था तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र पंडित बताया था।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 12. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी जफरूद्दीन द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरूद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में फरियादी जफरूद्दीन 30सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी वीरेन्द्र को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। घटना वाले दिन वह शेरपुर से गोहद बाइक से आ रहा था तो गोहद थाने के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया था पीछे से हाजिर अदालत आरोपी ने अपनी बुलैरो गाडी से उसे टक्कर मार दी थी गाडी का नंबर उसने नहीं देखा था गाडी कैसी चल रही थी उसने यह भी नहीं देखा था फिर पुलिस वाले आरोपी के पीछे गए थे और पुलिस वालों ने आरोपी को चितौरा के आस—पास पकड लिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि टक्कर मारने वाली गाडी का नंबर एमपी 07 बीए 2943 था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि गाडी का चालक गाडी को बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था।
- 13. इस प्रकार फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में विरोधाभाषी कथन किए हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक तरफ यह बताया गया है कि वह आरोपी वीरेन्द्र को नाम एवं शक्ल से नहीं जानता है तथा दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि हाजिर अदालत आरोपी ने अपनी बुलैरो गाडी से उसे टक्कर मार

दी थी। फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 द्वारा एक ही बिंदु पर एक ही समय में परस्पर विरोधाभाषी कथन किए गए हैं उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी मौके से बुलैरो लेकर भाग गया था फिर पुलिस वाले आरोपी के पीछे गए थे तो चितौरा के आसपास आरोपी को पकड लिया था परंतु इस तथ्य का उल्लेख ना तो प्र0पी01 की देहाती नालसी में है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 के कथन प्र0पी01 की देहाती नालसी से विरोधाभाषी रहे हैं। अपने परीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गाड़ी का चालक गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा यह भी व्यक्त किया है कि पीछे से टक्कर लगी थी इस कारण वह गाड़ी को नहीं देख पाया था कि गाड़ी कैसी चल रही थी। फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने टक्कर मारने वाले वाहन को नहीं देखा था उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि टक्कर मारने वाला वाहन तेजी व लापरवाही से चल रहा था। फरियादी जफरूद्दीन अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान भी अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। अतः फरियादी जफरूद्दीन के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने आरोपित टवेरा को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया था।

- 14. साक्षी रहीसउद्दीन अ०सा०२ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसे थाने के सामने पता चला था कि उसके भाई जफरूद्दीन का एक्सीडेंट हो गया है तथा घटनास्थल पर मौजूद लोग बता रहे थे कि चार पिहए की गाडी वाला टक्कर मारकर भाग गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि टवेरा क् एमपी०७ बीए 2943 का चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। इस प्रकार रहीसउद्दीन अ०सा०२ के कथन से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित टवेरा का चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने मौके पर दुर्घटना कारित करने वाली गाडी के चालक का नाम पता पूछा था। साक्षी रहीसउद्दीन अ०सा०२ के कथनों से यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरूद्ध कोई होता है।
- 15. साक्षी हबीबउद्दीन अ०सा०३ ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन हाटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 16. प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी जफरूद्दीन अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं शेष साक्षी रहीसउद्दीन अ०सा०2 एवं हबीबउद्दीन अ०सा०3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी वीरेन्द्र ने आरोपित टवेरा को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन दुर्घटना कारित की थी ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 17. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदहे से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 04.11.16 को 14:00 बजे थाने के सामने मौ रोड गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.—07—बी.ए.—2943 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी वीरेन्द्र को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 19. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा टवेरा कमांक एम.पी.—07—बी.ए.—2943 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान — गोहद दिनांक — 14.11.17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

भ्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)